न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 41/2019

शीर्षक

1. जीताराम मीणा पुत्र प्रभू जाति मीणा, उम्र 55 वर्ष निवासी बिशनगढ़ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर

–वादीगण

बनाम

1. मंगल पुत्र स्व0 गुलला (फौत)
1/1 महेश पुत्र स्व0 मंगल
1/2 सुण्डाराम पुत्र स्व0 मंगल
1/3 सन्ती देवी पुत्री स्व0 मंगल
1/4 ममता देवी पुत्री स्व0 मंगल
1/5 बाईसारा पुत्रीस्व0 मंगल
1/6 बबली पुत्री स्व0 मंगल
1/7 बुगली पुत्री स्व0 मंगल
1/8 सीमा पुत्री स्व0 मंगल

2. बीरबल
3. रामपाल } पुत्र स्व0 गुल्ला
4. बाबूलाल

समस्त जातियान मीणा निवासी बिशनगढ, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0
5. सेडी पुत्री गुल्ला पत्नी घीसा जाति मीणा निवासी माजीपुरा तह0 जमवारामगढ जिला जयपुर।
6.नान्छी पुत्री गुल्ला पत्नी लालाराम जाति मीणा निवासी मालेरा जाटावाली मोह तह0 आमेर जयपुर।
7. प्रेम देवी पुत्री गुल्ला पत्नी भोलाराम जाति मीणा निवासी पीलवा चन्दवाजी तह. आमेर जिला जयुपर।
8.नाथूराम पुत्र परसा (फौत)
8/1 सरबती पत्नी नाथूराम
8/2 पवन पुत्र नाथूराम
8/3 कैलाश पुत्र नाथूराम
8/4 रमेश पुत्र नाथूराम
8/5 घीसी पुत्री नाथूराम
8/6 भगोती पुत्री नाथूराम
8/7 मनभरी पुत्री नाथूराम
8/8 नान्छी पुत्री नाथूराम
8/9 खामोशी पुत्री नाथूराम
8/10 मोटा पुत्री नाथूराम
8/11 लाली पुत्री नाथूराम

9. नारायण
10. बद्री
11. मुरली } पुत्रान गंगू
12. बंशी

समस्त जातियान मीणा निवासी बिशनगढ, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
13.राजस्थाना सरकार भू–धारक जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा जयपुर।
14. उपपंजीयक उपपंजीयक कार्यालय शाहपुरा जयपुर।

–प्रतिवादीगण

15. शांति देवी पत्नी स्व0 ग्यारसीलाल
16.चंदा
17.सरोज } पुत्रीयान स्व0 ग्यारसीलाल
18. किरण

19. सोहन पुत्र स्व0 ग्यारसीलाल
20. पुजा पुत्र स्व0 ग्यारसीलाल
21. मनीष पुत्री स्व0 ग्यारसीलाल
तरतीबी प्रतिवादी सं0 20 लगायत 21 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संक्षक माता स्वयं शांति देवी पत्नी ग्यारसीलाल
समस्त जातियान मीणा निवासी बिशनगढ, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जि. जयपुर) राज.

22. गौरा देवी पुत्री स्व0 प्रभू समदाराम जाति मीणा निवासी किशोरपुरा तह0 नीम का थाना जिला सीकर राज0।

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज ,खातेदारी उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 15/2/23

वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादीगण की पैतृक सयुक्त मुश्तरका हिन्दू खानदान की हाल आराजी खाता संख्या 687 के खसरा नंबर 1194/0.16, 1195/0.07, 1198/0.09, 1200/0.12, 1201/0.06, 1202/0.07, 1203/0.09, 1204/0.1, 1205/0.05, 1206/0.26, 1207/0.17, 1210/0.19, 2111/0.10, 1212/0.11, 1213/0.03, 1214/0.26, 1215/0.08, 1216/0.23, 1217/0.14, 1218/0.17, 1219/0.16, 1220/0.29, 1234/0.21, 1235/0.23 कुल किता 24 कुल रकबा 3.43 है0 वाके ग्राम बिशनगढ़ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित भूमियां ही उक्त वाद में विवादित भूमियां है जिन्हें वाद में आगे के पैराज में वाद अधीन मुतवादिया कहा गया है। वाद पत्र के खण्ड सं0 1 में वर्णित वाद अधीन मुतवादिया निम्नलिखित तालिका अनुसार साबिक खसरा नम्बरान से हाल खसरा नम्बर कायम किये गये है। सारणी मिलान क्षेत्रफल –

हाल	साबिक	हाल	साबिक	हाल	साबिक
1194	1653	1205	1649	1215	1648
1195	1653	1206	1649	1216	1649
1198	1653	1207	1653	1217	1649
1200	1649	1210	1653	1218	1653
1201	1653	1211	1649	1219	1652
1202	1653	1212	1649	1220	1649 व 1652
1203	1653	1213	1653	1234	1648 व 1649
1204	1649	1214	1647 व 1648	1235	1648

वाद अधीन मुतवादिया वाद जिक्र खण्ड सं0 1 साबिक खसरा नंबर 1647 रकबा 5 बिस्वा, 1648 रकबा 19 बिस्वा, 1649 रकबा 3 बीघा, 1651 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, 1652 रकबा 18 बिस्वा, 1653 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा वाकै ग्राम बिशनगढ़ से कायम किये गये है जिसकी खातेदारी माना पुत्र मोती हिस्सा 1/3 व सेडिया पुत्र भूरा हिस्सा 3 व परसा पुत्र प्रागा हिस्सा 3 व गुल्ला व प्रभा पि0 प्रागा हिस्सा 3 कौम मीणा सा0 देह मुकहीम दर्ज था तथा उक्त वाद अधीन मुतवादिया वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण व प्रतिवादी की पैतृक भूमि है जिस पर सैटलमेन्ट साबिक से पूर्व वादी का दादा प्रागा हिस्सा 1/2 पर यानी 8 आना पर काबिज काश्त था तथा दौराने सैटलमेन्ट वादी के पिता व परसा व गुल्ला तीनों भाई बराबर हिस्से पर काबिज काश्त रहे परन्तु हाल सैटलमेन्ट में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश या आज्ञा के बिना वादी के पिता का नाम रिकॉर्ड ऑफ राइटस मे दर्ज नहीं किया जबकि परसा व गुल्ला का नाम ही दर्ज रह गया जो मौका वाक्यात व कानून के खिलाफ होने से काबिले दुरूस्ती है। जमाबन्दी साबिक नकल मिलान क्षेत्रफल संलग्न वाद पत्र है।

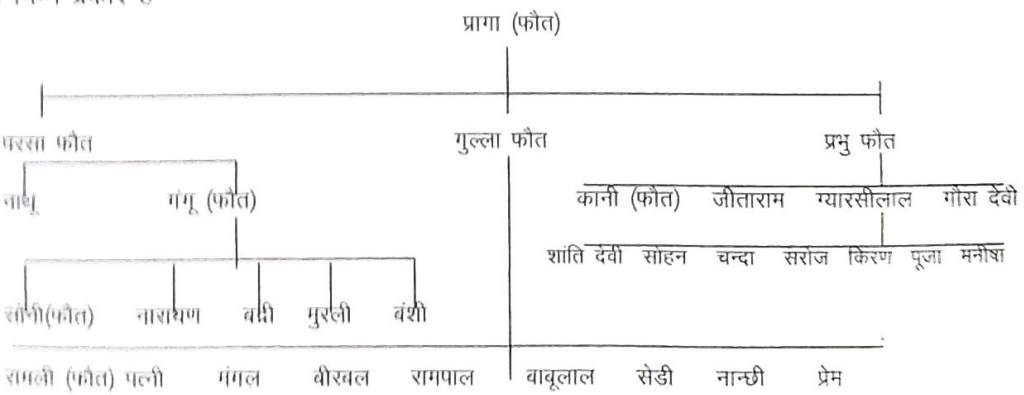

वादी व प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण एक ही हिन्दू खानदान के व्यक्ति है जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार है –

वादी ने जाहिर किया कि उपरोक्त सजरा खानदान में प्रागा के विधिक वारिसान है जिसमें प्रागा के तीनों पुत्र कमशः परसा, गुल्ला व प्रभू की मृत्यु हो चुकी है। जिनमें परसा के वारिसान के विरासत खातेदारी दर्ज है जबकि गुल्ला के नाम खातेदारी चली आ रही है, प्रभू का नाम सेटलमेन्टमें दर्ज नहीं किया गया है। वादी के दादा प्रभू पुत्र प्रागा का नाम राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी अधिकार व रिकार्ड ऑफ राइटस से हजफ कर दिया जिससे प्रागा के दो पुत्र गुल्ला व परसा का नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसकी जानकारी वर्ष 2015 में होने पर राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया जो संवत् 2008 से 2027 की मिसल में वादी के

सहायक ... राज

पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज था परन्तु आगे सम्वत 2036 लगभग 2036 में नाम हजफ कर दिया गया जिस बाबत वादीगण ने प्रतिवादीगण से बातचीत की जो पहले तो हां कर दी कि हम भाईयों का हिस्सा बराबर बराबर है तथा मौके पर बराबर बराबर काबिज काश्त है हम नाम करवा देंगे तथा बाद में टालमटोल करने पर यह वाद पत्र पेश करना अति आवश्यक हुआ है। अन्त में वादी ने निवेदन किया कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 से 12 के 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्से का वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को उक्त वादग्रस्त आराजी का का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ।

वादपत्र पेश होने पर विधिवत संस्थित की जाकर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई । प्रतिवादी सं 1 से 3 ने दिनांक 22.2.2017 को उपस्थित होकर दावा मुताबिक वादपत्र के डिक्री किये जाने की सहमति आवेशिका पर जाहिर की गई । प्रतिवादी सं0 8 से 12 की ओर से वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी सं0 8/1 से 8/11 की ओर से श्री रामगोपाल कुमावत जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर जाहिर किया गया कि वादपत्र में अंकित तथ्य गलत है, वादी एवं प्रतिवादीगण सभी रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजी में कोई विवाद नहीं है खातेदार मौके पर बंटवारा करके उपयोग कर रहे है। वादपत्र में दर्शित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया गया कि वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज दादा प्रागा के नाम विवादित आराजी कभी नहीं रही है उक्त आराजी दरवक्त सेटलमेन्ट के समय करणीदान वगैरह के नाम पूर्व में राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जो सीधे अपने अपने काबिज अनुसार उक्त आराजी खातेदारी भाना पुत्र मोती सेडिया पुत्र भूरा, परसा पुत्र प्रागा व गुल्ला व प्रभु पि0 प्रागा के नाम दर्ज हुई जिस पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है तथा आज भी वही हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज जिस पर प्रतिवादी सं0 8/1 से 8/11 काबिज है। प्रतिवादीगण ने अपने अतिरिक्त कथन में जाहिर किया कि उक्त विवादित आराजी सम्पूर्ण करणीदान चारण व अन्य चारणो के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा चारणों को यहा से चले जाने एवं जागीदारी प्रथा उन्मूलन के समय राज0सरकार द्वारा सम्पूर्ण खातेदारी भूमिया पर काश्त एवं कब्जेनुसार सभी काश्तकारों को काबिज अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये थे उसी के आधार पर उक्त आराजी साबिक में कुल 16 आना मानकर 7 आना भाना पुत्र मोती, 2 आना सेडिया, 3 आना 2 पैसा परसा पुत्र प्रागा व 3 आना 2 पैसा गुल्ला व प्रभू पुत्र प्रागा के नाम खातेदारी अधिकार मिले थे। प्रभु व गुल्ला ग्राम बिशनगढ में स्थायी रूप से निवास नहीं करते थे तथा राजस्व रिकार्ड में इनके पूर्वज गुल्ला प्रभु का नाम प्रतिवादी सं0 8 के पूर्वज परसा ने ही खातेदारी राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाया था । कुछ वर्षों पश्चात् उक्त आराजी के 3 आना 2 पैसा भाग पर गुल्ला व उसके पश्चात उसके वारिसान काबिज होकर काश्त करने लगे जिसके कारण प्रभू का हिस्सा हमेशा के लिए राजस्व रिकार्ड से हजफ हो गया, तथा उसके हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 के पूर्वज उसके पश्चात उसके वारिस प्रतिवादी सं0 1 से 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई । इस प्रकार वादी, प्रतिवादी सं0 8/1 से 8/11 से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 से 7 दुरभि सन्धि करके यह वादपत्र पेश कर प्रतिवादी सं0 8 के नाम दर्ज भूमि को हडप करना चाहते है। इस प्रकार वादी का वाद पत्र इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे ।

वादी की ओर से जवाबुल जवाब पेश कर जाहिर किया कि विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण तथा तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्ग प्रागा के कब्जे काश्त की भूमि रही हैं जिस पर प्रागा व उसके तीन लडके परसा गुल्ला व प्रभू तीनों भाई बराबर बराबर 1/3–1/3 हिस्से पर काबिज रहे है। वादी की ओर जवाबुल जवाब पेश किया कि उक्त विवादित आराजी में वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 13 व तरतीबी प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादीगण सं0 8/1 से 8/11 के बुजुर्ग प्रागा अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता था प्रागा के देहान्त के बाद उसके तीन लडके परसा, गुल्ला, प्रभू उक्त भूमि के प्रागा के 1/2 हिस्से की भूमि यानि आठ आना पर अन्य सहखातेदार भाना पुत्र मोती सेड्या पुत्र भूरा के साथ काबिज रहकर काश्त करते रहे है परसा व गुल्ला दोनो प्रभू से बडे थे तथा राजकाज में दोनो ही आते थे इन्होने सेटलमेन्ट व राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर राजस्व रिकॉर्ड में अपना हिस्सा ज्यादा दर्ज करवा लिया जबकि उक्त भूमि पर तीनों भाई बराबर बराबर रहकर काश्त करते थे उक्त भूमि की खसरा गिरदावरी में तीनो भाईयों द्वारा बराबर बराबर काश्त करना राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तीनों भाई ग्राम बिशनगढ़ में ही निवास करते थे प्रतिवादीगण द्वारा वादी के बुजुर्ग प्रभू उर्फ प्रभात तथा गुल्ला को बिशनगढ़ में स्थाई रूप से निवास नहीं करना तथा घुमक्कड बताना सरासर गलत है वादी के बुजुर्ग प्रभू ने साबिक सेटलमेन्ट के पूर्व से ही अपने पिता प्रागा व दोनो भाई गुल्ला व परसा के साथ उक्त भूमि पर काश्त की है तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण ने भी अपने पिता प्रभू के साथ अपने हिस्से पर लगातार काश्त करते आ रहे है तथा आज वर्तमान में भी अपने 1/3 हिस्से की भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है वादी का पिता सीधा साधा इंसान व पढा लिखा नहीं था तथा वादी भी राजस्व रिकॉर्ड के बारे में नहीं समझता प्रतिवादीगण ने गत सेटलमेन्ट में राजस्व कर्मचारियों व सेटलमेन्ट अधिकारियों से मिलीभगत कर वादी के पिता प्रभू का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटवा दिया जबकि सेटलमेन्ट कर्मचारियों को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के राजस्व रिकॉर्ड में फेर बदल

सहायक ... राज

करने का कोई हक अधिकार नहीं था सन 2015 में वादी को राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज नहीं होने का पता चला तथा वादी ने प्रतिवादीगण को राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने बाबत कहा तब प्रतिवादीगण ने कहा कि राजस्व कर्मचारियों की गलती से तुम्हारे पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से छूट गया जिसे तहसील कार्यालय में चलकर दुरूस्त करवा देंगे इसके बाद प्रतिवादीगण नाम दुरूस्ती हेतु टालमटोल करते रहे दिनांक 20.12.2016 को राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करवाने से स्पष्ट तौर से मना कर दिया है जिस पर वादी ने न्यायालय श्रीमान के समक्ष उक्त वाद पत्र पेश किया है। जवाबुल जवाब के अंत में निवेदन किया कि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का वाद पत्र डिक्री फरमाया जावे तथा प्रतिवादी सं0 8/1 से 8/11 का काउन्टर क्लेम मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में तनकी कायम की गई तथा साक्ष्य सबूत पेश करने का उचित अवसर दिया जाकर वाद पत्र में पेश प्रार्थना-पत्रों का विधिवत सुनवाई कर निर्णय किया गया। तनकी नंबर 1 कायम की गई कि आया वाद पत्र के खण्ड संख्या 2 में वर्णित आराजी मुतनाजा पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि है, जो पूर्व में उनके पूर्वज प्रागा के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी, जिसके फूट स्टेप पर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण अपने 1/3 हिस्से की भूमि पर बहैशियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है, किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में परसा व गुल्ला पुत्रान प्रागा व उनके वारिसान के नाम तो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गये किन्तु गलती से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज प्रभू पुत्र प्रागा व उसके वारिसान के नाम 1/3 हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई, जिसे दर्ज करवाने के वादीगण अधिकारी है।

तनकी नंबर 2 आया प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत खातेदारी दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर व वादीगण के हिस्से एवं कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करते है तथा उसे बदखल करने एवं अन्य किसी दीगर को अन्तरण करने की धमकी देते है। इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

तनकी नंबर 3 आया वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है, दावा खारीज किये जाने योग्य है।

तनकी नंबर 4 आया वाद-पत्र गलत तथ्यों पर आधारित कर स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो खारिज योग्य है तथा प्रतिवादीगण का प्रतिदावा स्वीकार योग्य है।

तनकी नं0 1 को साबित करने हेतु वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के जिम्मे होने से वादीगण की ओर से पेश किये गये दस्तावेजात एवं साक्ष्य वादी का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि विवादित साबिक आराजी खसरा नम्बर 1647 रकबा 5 बिस्वा, 1648 रकबा 19 बिस्वा, 1649 रकबा 3 बीघा, 1651 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, 1652 रकबा 18 बिस्वा, 1653 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा वाकै ग्राम बिशनगढ़ भू प्रबन्ध विभाग की खतौनी सं0 2008 से 2027 में भाना पुत्र मोती, सेढ़ला पुत्र भूरा व परसा पुत्र प्रागा व गुला व प्रभा पि0 प्रागा के नाम दर्ज रही हैं साबिक खसरा नम्बर 1647 से 1649, 1651 से 1653 के हॉल कायम किये गये खसरा नम्बर 1194/0.16, 1195/0.07, 1196/0.08, 1200/0.12, 1201/0.06, 1202/0.07, 1203/0.09, 1204/0.1, 1205/0.05, 1206/0.26, 1207/0.17, 1210/0.19, 2111/0.10, 1212/0.11, 1213/0.03, 1214/0.26, 1215/0.08, 1216/0.23, 1217/0.14, 1218/0.17, 1219/0.15, 1220/0.29, 1234/0.21, 1235/0.23 कुल किता 24 कुल रकबा 3.43 है0 वाके ग्राम बिशनगढ़ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर कायम किया जाना प्रदर्श -4 मिलान क्षेत्रफल से सिद्ध होता है। वादी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता का कथन था कि हस्तगत वादपत्र के वर्णित आराजी मुतदाविया के हिस्सा 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार पक्षकारान का पूर्वज प्रागा था। उसके फूट स्टेप पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को हिस्सा 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । अधिवक्ता वादी ने यह भी बताया की साक्ष्य की प्रस्तुत अभिलेखिय व मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये शपथ पत्रों एवं प्रतिवादी सं0 1 से 7 की ओर से दावा डिक्री किये जाने में प्रदान की गई सहमति से भी वाद तथ्यों की पुष्टि होती है इसलिए वादी का दावा स्वीकार योग्य है।

पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के बयानो के शपथ पत्र में वादी ने स्वयं ने अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद की है तथा गवाह गोरधन पुत्र अर्जूनलाल मीणा व मुवालाल पुत्र लादूराम मीणा ने वादी का 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त होना बताया है।साक्ष्य प्रतिवादी मुरली पुत्र गंगाराम ने भी अपने बयानो के वादी का काबिज होना जाहिर करते हुए प्रभू /प्रभात का नाम छूटना जाहिर किया है।तथा साक्ष्य प्रतिवादी कैलाशचन्द पुत्र नाथूराम मीणा ने अपने बयानो में प्रागा के तीन पुत्र होना जाहिर करते हुये वादी को काश्त करता देखना स्वीकार किया है।इसी प्रकार साक्ष्य प्रतिवादी अर्जून पुत्र सुरजा बादरिया ने अपने बयानों में वादी को 2 बीघा पक्की जमीन पर काबिज काश्त होना बताया है। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखिय साक्ष्य जमाबंदी खतौनी सम्वत 2008 से 2027 में पक्षकारान के पूर्वज प्रागा के नाम आराजी मुतदाविया के हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट नहीं होती है। अपितु वादपत्र में वर्णित शजरानुसार उसके पुत्रान परसा पुत्र प्रागा के नाम तीन आना दो पैसा तथा गुल्ला व प्रभू के नाम तीन आना दो पैसा संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज राजस्व अभिलेख होना प्रमाणित है। शेष भूमि के हिस्से की खातेदारी दीगर सहखातेदारान भाना पुत्र मोती [illegible] सात

आना तथा सेडया पुत्र भूराराम के नाम दो आना की खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड होना साबित है। राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों से स्पष्ट जाहिर होता है कि जब पक्षकारान के पूर्वज प्रागा के नाम साबिक राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा के हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी दर्ज की नहीं है, तो उसके फूट स्टेप पर उसके हिस्से की भूमि में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार किस आधार पर दर्शित किया जावे । वादी एवं उनके अभिभाषक न तो पक्षकारान के पूर्वज प्रागा को आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्से का अभिलिखित खातेदार काश्तकार होना सिद्ध कर पाये है एवं ना ही उसके फूट स्टेप पर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को 1/3 हिस्से की भूमि पर भौतिक रूप से काबिज काश्त होना साबित करवा पाये है। ऐसी परिस्थिति में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण केवल अपने जुबानी अभिकथनों के आधार पर उनके पूर्वज मरहूम प्रागा फूट स्टेप पर उसके हिस्से 1/2 भाग की खातेदारी में से 1/3 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने के मुश्तहक नहीं है।

चूंकि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज प्रभू व गुल्ला के नाम संयुक्त रूप से साबिक राजस्व अभिलेख जमाबंदी खातौनी सम्वत 2008 से 2027 में तीन आना दो पैसा हिस्से की खातेदारी दर्ज होना प्रमाणित तदानुसार पूर्व अभिलिखित सहखातेदार मरहूम प्रभू उर्फ प्रभात के हिस्से तक की सहखातेदारी वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण अपने पूर्वजो के फूट स्टेप पर प्राप्त करने एवं अपना नाम राजस्व रिकार्ड के दर्ज करवाने के अधिकारी है। राजस्व अभिलेख जमाबंदी खतौनी सम्वत 2008 से 2027 में तो आराजी मुतदाविया के हिस्सा तीन आना दो पैसा की खातेदारी प्रभू व गुल्ला के नाम संयुक्त रूप से दर्ज होना प्रकट होती है लेकिन पश्चातवर्ती राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2035 से 2038 में वादी के पिता प्रभू उर्फ प्रभात के नाम उसके हिस्से की सहखातेदारी साबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार दर्ज नहीं है। अपितु उसके सहखातेदार गुल्ला अकेले के नाम ही उसके हिस्से की भूमि भी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जबकि यह सर्वविदित विधि का सिद्धांत है कि सेटलमेंट के दौरान भू–प्रबधक अधिकारी को पूर्व प्रविष्टियो को जैसी है वैसी ही राजस्व रिकार्ड में अंकित करनी होगी। वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज प्रभू उर्फ प्रभात को नाम राजस्व रिकार्ड में किस प्रकार हजफ किया गया। इस संबंध में कोई आदेश एवं तय रिकार्ड पर नहीं है। वादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य एवं आराजी मुतवादिया के सहखातेदार मरहूम गुलला पुत्र प्रागा के वारिसान प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 के द्वारा प्रदान की गई सहमति से वादी अपने मरहूम पिता प्रभू उर्फ प्रभात के फूट स्टेप पर उसके सहहिस्से की खातेदारी की भूमि पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। साबिक राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों के विपरीत हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी (खेवट/खतौनी) सम्वत 2074 से 2077 में गुल्ला व प्रभू पुत्र प्रागा के बजाये इनके संयुक्त सहखातेदारी की भूमि अकेली गुल्ला पुत्र गोमा के नाम गलत रूप से दर्ज होना जाहिर होती है। जिसके हिस्से एवं गुल्ला की वल्दीयत गोमा के स्थान पर प्रागा दुरूस्त किये जाने योग्य है जहां तक प्रतिवादीगण संख्या 8/1 से 8/11 का अभिकथन एवं काउण्टर क्लेम है उनकी खातेदारी साबिक राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों के अनुरूप हाल राजस्व अभिलेख में भी दर्ज होना विदित होती है तदानुसार उनके हिस्से की भूमि में कोई दुरूस्ती की जाना अपेक्षित नहीं है। उनके हिस्से की सहखातेदारी यथावत बहाल रखी जाने योग्य है। उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं उभयपखों के अभिकथनों व रिकार्ड शाहद्धत के आधार पर यह तनकी आंशिक रूप से बहक वादी तैय की जाती है।

तनकी संख्या 2 –: इस तनकी को साबित करवाने का भार भी वादी पर ही था। वादी एवं उनके विद्धान अधिवक्ता उक्त तनकी को साबित करवाने के संबंध में कोई वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं कर पाये कि कौन कौन प्रतिवादीगण वादी के हिस्से एवं कब्जे काश्त में महाहमत पैदा करते है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 ने तो स्वयं उनके हिस्से की उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा प्रतिवादीगण संख्या 8/1 से 8/11 के हिस्से तक की भूमि में वे अपनी सहखातेदारी सिद्ध करवा पाने में पूर्णतया विफल रहे है। अतः यह तनकी बखिलाफ वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :–इस तनकी को साबित करवाने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण एवं उनके योग्य अधिवक्ता द्वारा उक्त तनकी को साबित करवाने के संबंध में कोई रिकार्ड शाहद्धत पेश नहीं की गयी। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के जिमन नंबर 7 में बिना ये दावा पैदा होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो पर्याप्त है। लिहाजा यह तनकी बखिलाफ प्रतिवादीगण तय की जाती हैं ।

तनकी संख्या 4 :– इस तनकी के सिद्ध करवाने का भार भी प्रतिवादीगण पर था। अधिवक्ता प्रतिवादीगण का कथन था कि वादपत्र गलत तथ्यों पर आधारित कर स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए दावा खारिज योग्य है लेकिन उनके द्वारा अपने कथनों की पुष्टि में रिकार्ड शाहद्धत एवं न्यायिक दृष्टांत आदि प्रस्तुत नहीं किये इस प्रकार वे उक्त तनकी को अपने पक्ष में सिद्ध करवा पाने में पूर्णतया असफल रहे है। अतः यह तनकी भी बखिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

5.दादरसी– उपर्युक्त तनकीयात के निर्णय एवं पत्रावली के तथ्यों के विवेचन तथा प्रस्तुत रिकार्ड शाहद्धत के अवलोकन से स्पष्ट विदित होता है कि आराजी मुतदाविया की सहखातेदारी में पक्षकारान के पूर्वज प्रागा का नाम 1/2 हिस्से की सहखातेदारी के साबिक राजस्व अभिलेख जमाबंदी खतौनी सम्वत 2008 से 2027 में अंकित नहीं था। अपितु उनके पूर्वज परसा पुत्र प्रागा का 3 आना दो पैसा तथा गुल्ला व प्रभू पुत्र

प्रागा का भी तीन आना दौ पैसा दर्ज साबिक राजस्व रिकार्ड था। यानी प्रागा के तीनों पुत्रों का आराजी मुतदाविया में बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज नहीं था अर्थात पक्षकारान के पूर्वज परसा का अकेले का हिस्सा उनके दौ भाईयो गुल्ला व प्रभू के बराबर साबिक अभिलेख में अकित था तथा तत्पश्चात के व हाल राजस्व रिकार्ड के गुल्ला व प्रभू के हिस्से की भूमि अकेले गुल्ला के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दी। स्वयं मरहूम पूर्व सहखातेदार गुल्ला के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के द्वारा भी राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने पर कोई आपत्ति नहीं की गयी अपितु पत्रावली की आदेशिका पर अपनी सहमति व्यक्त की गयी है हाल राजस्व अभिलेख में भी प्रतिवादी सं0 8 से 12 जो परसा के वारिस के नाम 1/4 हिस्से की खातेदारी भूमि दर्ज है। तथा इसके बराबर ही 1/4 हिस्से की सहखातेदारी गुल्ला व प्रभू के बजाय अकेले गुल्ला पुत्र गोमा के नाम अंकित है। जिसमें गुल्ला की वल्दियात भी प्रागा के बजाय गोमा अंकित है जो गलत है एवं स्लिप आफ पैन होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं तनकीयात के निर्णयानुसार वादी का दावा आंशिक रूप से तथा प्रतिवादीगण 8/1 से 8/11 का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर इस आदेश के साथ डिक्री किया जाता है, कि ग्राम बिशनगढ तहसील शाहपुरा स्थित आराजी हाल खसरा नंबरान 1194 से 1196 , 1200 से 1207, 1210 से 1220 व 1234, 1235 कुल किता 24 रकबा 3.4300 है0 भूमि सहखातेदारी हिस्सा 1/4 भाग में से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 व उनके पूर्वज गुल्ला पुत्र गोमा का नाम कलम्जन करके उनके स्थान पर गुल्ला पुत्र गोमा की वल्दियात शुद्ध करके गुल्ला पुत्र प्रागा को हिस्सा 1/8 भाग का तथा वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को हिस्सा 1/8 भाग का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। हर्जा–खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। तद्नुसार डिक्री मुर्तिब होकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवाने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा के नाम तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/2/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनमोहन मीना)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रै.)
शाहपुरा जिला जयपुर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :- 41/2019

शीर्षक

1.जीताराम मीणा पुत्र प्रभू जाति मीणा, उम्र 65 वर्ष निवासी बिशनगढ़ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर

--वादीगण

बनाम

1. मंगल पुत्र स्व0 गुलला (फौत)
1/1 महेश पुत्र स्व0 मंगल
1/2 सुण्डाराम पुत्र स्व0 मंगल
1/3 सन्ती देवी पुत्री स्व0 मंगल
1/4 ममता देवी पुत्री स्व0 मंगल
1/5 बाईसारा पुत्रीस्व0 मंगल
1/6 बबली पुत्री स्व0 मंगल
1/7 बुगली पुत्री स्व0 मंगल
1/8 सीमा पुत्री स्व0 मंगल

2. बीरबल
3. रामपाल } पुत्र स्व0 गुल्ला
4. बाबूलाल

समस्त जातियान मीणा निवासी बिशनगढ, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0
5. सेडी पुत्री गुल्ला पत्नी घीसा जाति मीणा निवासी माजीपुरा तह0 जमवारामगढ जिला जयपुर।
6.नान्छी पुत्री गुल्ला पत्नी लालाराम जाति मीणा निवासी मालेरा जाटावाली मोह तह0 आमेर जयपुर।
7. प्रेम देवी पुत्री गुल्ला पत्नी भोलाराम जाति मीणा निवासी पीलवा चन्दवाजी तह. आमेर जिला जयपुर।
8.नाथूराम पुत्र परसा (फौत)
8/1 सरबती पत्नी नाथूराम
8/2 पवन पुत्र नाथूराम
8/3 कैलाश पुत्र नाथूराम
8/4 रमेश पुत्र नाथूराम
8/5 घीसी पुत्री नाथूराम
8/6 भगोती पुत्री नाथूराम
8/7 मनभरी पुत्री नाथूराम
8/8 नान्छी पुत्री नाथूराम
8/9 खामोशी पुत्री नाथूराम
8/10 मोटा पुत्री नाथूराम
8/11 लाली पुत्री नाथूराम

9. नारायण
10. बद्री
11. मुरली } पुत्रान गंगू
12. बंशी

समस्त जातियान मीणा निवासी बिशनगढ, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
13.राजस्थाना सरकार भू-धारक जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा जयपुर।
14. उपपंजीयक उपपंजीयक कार्यालय शाहपुरा जयपुर।

--प्रतिवादीगण

15. शांति देवी पत्नी स्व0 ग्यारसीलाल
16.चंदा
17.सरोज } पुत्रीयान स्व0 ग्यारसीलाल
18. किरण

19. सोहन पुत्र स्व0 ग्यारसीलाल
20. पुजा पुत्र स्व0 ग्यारसीलाल
21. मनीष पुत्र स्व0 ग्यारसीलाल

तरतीबी प्रतिवादी सं0 20 लगायत 21 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता स्वयं शांति देवी पत्नी ग्यारसीलाल
समस्त जातियान मीणा निवासी बिशनगढ, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
22. गौरा देवी पुत्री स्व0 प्रभू समदाराम जाति मीणा निवासी किशोरपुरा तह0 नीम का थाना जिला सीकर राज0।

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज ,खातेदारी उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 15/2/2023

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं तनकीयात के निर्णयानुसार वादी का दावा आंशिक रूप से तथा प्रतिवादीगण 8/1 से 8/11 का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर इस आदेश के साथ डिक्री किया जाता है, कि ग्राम बिशनगढ तहसील शाहपुरा स्थित आराजी हाल खसरा नंबरान 1194 से 1196 , 1200 से 1207, 1210 से 1220 व 1234, 1235 कुल किता 24 रकबा 3.4300 है0 भूमि सहखातेदारी हिस्सा 1/4 भाग में से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 व उनके पूर्वज गुल्ला पुत्र गोमा का नाम कलमजन करके उनके स्थान पर गुल्ला पुत्र गोमा की वल्दियात शुद्ध करके गुल्ला पुत्र प्रागा को हिस्सा 1/8 भाग का तथा वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को हिस्सा 1/8 भाग का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। हर्जा–खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवाने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा के नाम तहरीर जारी हो।

निर्णय आज तारीख 15/2/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(मनमोहन मीणा)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रै.)
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ...... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	